राजस्थान सरकार

स्वायत शासन विभाग, राज. जयपुर

कंमांक :प.10 ( ) (नव न.पा.)चुनाव / जन / स्वा.शा.वि. / 22 / 3111-3144 दिनांकः14 / 12 / 2022

प्रेषक :–

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव,
स्वायत शासन विभाग, राज. जयपुर

प्रेषिति :–

जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी,
समस्त राजस्थान ।

विषय :– बजट घोंषणा की अनुपालना में नगर पालिका चुनाव 2023–24 हेतु नवगठित नगर पालिकाओं में वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर वार्डो का गठन एवं परिसीमांकन बाबत ।

प्रसंग :– विभागीय समसंख्यक पत्रांक 2403 – 2435 दिनांक 10 / 10 / 2022 द्वारा घोंषित वार्ड परिसीमांकन कार्यकंम में आंशिक संशोधन बाबत ।

....

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनगणना वर्ष 2011 के आधार पर नवगठित नगर निकायो में वार्डो की कुल संख्या का निर्धारण अधिसूचना कंमांक 1523 दिनांक 10.06.2019 के आधार पर किया जाना है। इन नवगठित नगर पालिकाओ के चुनाव भी कराये जाने है। इन नगर पालिकाओ में वार्डो का गठन एवं परिसीमांकन किया जाना है। जिनमें 2011 की जनगणना के अनुसार विभागीय अधिसूचना कंमांक 1523 दि 10.06.2019 के अनुसार वार्डो की संख्या निम्नानुसार निर्धारित की गई है :–

क्र. सं.	जनसंख्या	सीटो / सदस्यो की संख्या
01.	जनसंख्या 15,000 तक	20
02.	15,001 से 25,000 तक	25
03.	25001 से 40,000 तक	35
04.	40,001 से 60,000 तक	40
05.	60,001 से 80,000 तक	45
06.	80,001 से 1,00,000 तक	55
07.	1,00,000 से 2,00,000 तक	60

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रकरण में निर्देशानुसार विभागीय समसंख्यक पत्रांक 2403 – 2435 दिनांक 10 / 10 / 2022 के कंम में नवगठित नगरपालिकाओं में वार्ड परिसीमांकन प्रस्ताव कार्यकंम में आंशिक संशोधन निम्नानुसार करते हुए समय निर्धारित किया जाता है :–

क्र.सं.	विभिन्न कार्य	कुल दिवस	प्रस्तावित कार्यक्रम
1.	वार्ड गठन एवं वार्ड गठन का प्रकाशन परिसीमांकन आपत्तियां सुनवाई तथा जिला कलेक्टर द्वारा राज्य सरकार को प्रस्तुत अन्तिम प्रारूप अनुमोदन हेतु भिजवाना।	30 दिन	15 दिसम्बर 2022 से 14 जनवरी 2023
2.	राज्य सरकार से जिला कलेक्टर द्वारा प्रेषित प्रारूप का अनुमोदन।	30 दिन	15जनवरी 2023 से 14 फरवरी 2023
3.	राज्य सरकार से अनुमोदित प्रारूप के पश्चात् राजपत्र में अंतिम रूप से प्रकाशन।	30 दिन	15 फरवरी 2023 से 16 मार्च 2023

उपरोक्त कार्यकंम के अनुसार परिसीमांकन कार्य एवं वार्डो का आरक्षण करवाया जाना आवश्यक है। उपरोक्तानुसार निर्धारित कार्यकंम के अनुसार कार्य प्रगति से संबंधित पत्र निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत शासन विभाग राज जयपुर को संबोधित किया जायेगा । वार्डो का पुर्नसीमांकन एवं पुर्नगठन करते समय इससे संबंधित नियमों एवं पूर्व में जारी निर्देश यथावत रहेगें। अतः निर्देशों का पूर्ण अध्ययन कर उन्हीं के अनुसार कार्य का निष्पादन किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

आज्ञा से,

(ह्रदेश कुमार शर्मा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

Shrimal\Election Letter\

क्रमांक :प.10 ( ) (नव न.पा.)चुनाव / जन / स्वा.शा.वि. / 22 / 3145-3214 दिनांकः14 / 12 / 2022
प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार सचिवालय जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. सचिव, / उप सचिव, राज्य निर्वाचन आयेाग, राजस्थान।
5. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव निदेशालय जयपुर ।
6. आयुक्त / निदेशक, ग्रांमीण विकास एवं पंचायत राज. विभाग,सचिवालय जयपुर।
7. समस्त संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर, समस्त राजस्थान ।
8. समस्त संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (नवगठित नगरपालिकाएं) बीकानेर /अलवर, सवाईमाधोपुर /जोधपुर /सीकर / जालौर / झुंझनूं / दौसा / भीलवाडा / पाली / उदयपुर / जयपुर, हनुमानगढ / नागौर /बाडमेर / प्रतापगढ ।
9. परियोजना निदेशक / मुख्य नगर नियोजक , निदेशालय
10. निदेशक / अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर को असाधारण अंक में शीघ्र प्रकाशनार्थ।
11. अतिरिक्त निदेशक,निदेशालय / उप निदेशक (प्रशासन) निदेशालय।
12. उप निदेशक (सांख्यिकी) / सी.एम.आर. निदेशालय को निकायों में निर्वाचित सदस्यों एवं वार्ड सीमा क्षेत्र से संबंधित सभी आवश्यक सूचनाये संकलित करते हुए केन्द्र सरकार को समय–समय पर उपलब्ध कराये जाने हेतु।
13. समस्त उप निदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय राजस्थान । कृपया संबंधित जिला कलेक्टर से समन्वय कर निर्धारित समय में कार्यवाही करवाया जाना सुनिश्चित करें।
14. समस्त अध्यक्ष / अधिशाषी अधिकारी नवगठित नगरपालिका .... खाजूवाला / बौंली / टपूकडा, बर्डौद / नीमराना / बडोद मेव / कोटकासिम / गोविन्दगढ / बहादुरपुर (किशनगढबास) / रानीवाडा, बालेसर सत्ता / अजीतगढ / दाता / मण्डावर / हमीरगढ / मारवाड जंक्शन / ऋषभदेव / सेमारी / नरायना / टिब्बी / बासनी / बोरावाड / जायल / सिवाना / धरियावद / मनोहरपुर ।
15. जनसम्पर्क अधिकारी, निदेशालय।
16. संयुक्त निदेशक (आई.टी.सैल) अपलोड करने हेतु ।,

(संजय माथुर)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी